भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 318

दिनांक 19.07.2022 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का पुनर्गठन

318. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में केंद्र- प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का पुनर्गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका सृजन से संबंधित सतत विकास लक्ष्य पंचायतों के दायरे में आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप को आरजीएसए के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रामटेक-नागपुर, दादरा और नागर हवेली तथा लक्षद्वीप को बकाया राशि जारी करने हेतु विशेष रूप से उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) जी, हाँ। सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को दिनांक 13.04.2022 को संशोधित आरजीएसए के रूप में 01.04.2022 से 31.03.2026 तक कार्यान्वयन के लिए पुनर्गठित किया है, जिसकी कुल लागत ₹5911 करोड़ है, जिसमें ₹3700 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹2211 करोड़ का राज्य का हिस्सा शामिल है।

(ख) जी, हाँ। गरीबी, जन स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका सृजन आदि से संबंधित सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) पंचायतों के दायरे में आते हैं। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज

अभियान का प्राथमिक उद्देश्य पंचायतों के दायरे में आने वाले सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायतों की शासन क्षमताओं को विकसित करना है। चूंकि पंचायतों की ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख भूमिका है, अतएव राज्यों को अपनी प्रशिक्षण योजनाओं में एसडीजी को एकीकृत करने की सलाह दी गई है और इस योजना के तहत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को इन प्रशिक्षण योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जैसा कि उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना में शामिल है।

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को 160.083 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप को कोई धनराशि जारी नहीं किया गया था।

(घ) आरजीएसए की पूर्ववर्ती योजना की प्रकृति मांग-प्रेरित थी और दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप सहित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमोदित योजनाओं के आधार पर आवश्यक दस्तावेज जैसे उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आदि जमा करने और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का अनुपालन के आधार पर धनराशि जारी किया गया था। दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों सहित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने और निधि जारी करने के लिए निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है। अपेक्षित शर्तों का पालन न करने के कारण, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेशों को धनराशि जारी नहीं किया गया था। इस योजना के तहत अनुदान जिलेवार रूप से न जारी कर राज्यों को समग्र रूप से जारी किया गया था।

****